वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19 हेतु जानकारी

अध्याय–2
राज्य योजना आयोग

विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास करने राज्य के संसाधनों का आंकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24.10.1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था। दिनांक 21.09.2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–9–9/2004/23/यो.आ.सां./भोपाल, दिनांक 27.06.2008 के द्वारा राज्य योजना आयोग का पुर्नगठन किया गया है, जिसके अनुसार आयोग का स्वरूप इस प्रकार है :–

राज्य योजना आयोग का स्वरूप

1. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2. माननीय	–	उपाध्यक्ष
3. मंत्री, वित्त एवं योजना, म.प्र. शासन	–	सदस्य
4. मंत्री, अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
5. मंत्री, अनुसूचित जनजाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
6. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	–	सदस्य
7. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
8. प्रमुख सचिव, वित्त, म.प्र. शासन	–	सदस्य
9. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
10. श्री शरद चन्द जैन, इंदौर	–	अंशकालीन सदस्य
11. श्री विनोद मिश्र, जबलपुर	–	अंशकालीन सदस्य
12. श्री पूरन चन्द अणवानी, बालाघाट	–	अंशकालीन सदस्य
13. श्री प्रीतमलाल दुआ, इंदौर	–	अंशकालीन सदस्य
14. श्रीमती सावित्री सिंह, दतिया	–	अंशकालीन सदस्य
15. प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन	–	सदस्य सचिव

राज्य योजना आयोग के स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति
(दिनांक 31.10.2018 की स्थिति में)।

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा मनोनीत निर्धारित शर्तों पर	01	00	01	—
विभागाध्यक्ष						
1.	सदस्य सचिव	संवर्गीय भा.प्र.से वेतनमान	01	01	00	
प्रथम श्रेणी						
2.	अपर सचिव/उप सचिव	37400-67000/- विशेष वेतन	01	01	00	
3.	अवर सचिव	15600-39100	01	00	01	
4.	प्रमुख सलाहकार	67000-79,000/- संवर्गीय वेतनमान	01	01	00	
5.	सलाहकार	37400-67,000/- संवर्गीय वेतनमान	01	01	00	
द्वितीय श्रेणी						
6..	सहायक सलाहकार	15600-39100	04	01	03	
7.	लेखाधिकारी	15600-39100	01	00	01	
8.	प्रशासकीय अधिकारी	15600-39100	01	00	01	
तृतीय श्रेणी						
9.	निज सचिव श्रेणी–1	9300-34800	02	01	01	
10.	निज सहायक श्रेणी–2	9300-34800	03	01	02	
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी–3	5200-20200	02	02	00	
12.	सहायक सां. अधिकारी	9300-34800	03	02	01	भरे हुए पदों में से 01 पद आसांसं से प्रतिनियुक्ति पर
13.	अन्वेषक	5200-20200	07	01	06	भरे हुए पदों में से 01 पद वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
14.	लेखापाल	5200-20200	01	01	00	—
15.	सहायक ग्रेड–1	5200-20200	02	01	01	—
16.	सहायक ग्रेड–2	5200-20200	04	03	01	
17.	सहायक ग्रेड–3	5200-20200	06	04	02	
18.	सुरक्षा गार्ड	5200-20200	04	01	03	3 सुरक्षागार्डो की व्यवस्था सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से की जा रही है।
19.	वाहन चालक	5200-20200	05	04	01	
चतुर्थ श्रेणी						
20.	जमादार/दफ्तरी	4440-7440	05	02	03	
21.	भृत्य	4440-7440	12	11	01	
22.	स्वीपर	4440-7440	01	01	-	
23.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01	00	01	
24.	पार्टटाईम स्वीपर	-------"-------	01	00	01	
	योग		**71**	**41**	**30**	

2. राज्य योजना आयोग के दायित्व –

वर्ष 2017–18 से भारत सरकार नीति आयोग के निर्देशानुसार पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया को समाप्त कर त्रिवर्षीय एक्शन प्लान, सात वर्षीय स्ट्रेटजिक प्लान एवं 15 वर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जाना है।

3. विभागीय पदोन्नति/समयमान –

राज्य योजना आयोग का जिला मुख्यालयों पर कोई अमला पदस्थ नहीं है।

4. विभागीय जांच –

राज्य योजना आयोग में विभागीय जाँच का एक प्रकरण प्रचलित है।

5. नियुक्ति/स्थानांतरण –

राज्य योजना आयोग स्तर पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत् बैकलॉग के रिक्त पद की पूर्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से की गई है।

6. न्यायालयीन प्रकरण –

राज्य योजना आयोग में एक न्यायालयीन प्रकरण में जबाव दावा प्रस्तुत किया जा चुका हूँ।

7. संसदीय कार्य/विधि विषयक

दिनांक 31.10.2018 की स्थिति में कोई विधेयक लंबित नहीं है।

8 राज्य योजना आयेाग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ :

इस नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक त्रिवर्षीय कार्य योजना (Action Plan) तैयार किये जाने की प्रक्रिया गतिशील है। वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना के लिए रूपये 2,42,32,393 करोड़ का योजना प्रावधान रखा गया है।

8.1 जिला योजना :–

राज्य योजना आयोग द्वारा समस्त जिलों की वर्ष 2018–19 की जिलेवार योजना सीमा तैयार की गई है। जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग से चर्चा उपरांत रूपये 31434.66 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई है।

विकेन्द्रीकृत जिला योजना की प्रक्रिया में वर्ष 2009 में प्रदेश के 5 जिलों में प्रतिदर्श के रूप में भारत सरकार–राष्ट्र कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत प्रारम्भ की गई, वर्ष 2010 से प्रदेश के 52 जिलों में विकेन्द्रीकृत जिला योजना लागू की गई है।

8.2 जिला योजना समिति :–

संविधान के 73 वें के संदर्भ में प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है। जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिये राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद–243, य, घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है। समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। जिलाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव हैं। इनके अतिरिक्त लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं। जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप–समितियाँ गठित कर सकेंगी। विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उपसमितियाँ उनके क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करने के साथ–साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी।

9. वेबसाईट :–

राज्य योजना आयोग से संबंधित जानकारी की वेबसाईट **http://mpplanningcommission.gov.in /** पर प्रदर्शित की जा रही है।

10. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय –

वर्ष 2018–19 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(लाख रूपये में)

क्रं.	योजना शीर्ष	स्वीकृत बजट प्रावधान 2018–19	पुनरीक्षित अनुमान 2018–19	वास्तविक व्यय (31.10.18)	प्रस्तावित बजट 2019–2020
1.	**राज्य योजना आयोग**				
1.	विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	150.00	00	79.70	500.00
2.	नवाचार को प्रोत्साहन	00	0.00	00	00
3	विकेन्द्रीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु पीठ का गठन	00	00	00	00
4	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	-	00	00	00

5	नर्मदा सेवा मिशन	155.00	00	00	00
6	राज्य योजना आयोग (स्थापना)	450.45	00	00	00

11. प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई का गठनः–

परियोजना प्रबंधन इकाई की संस्थागत संरचना का उद्देश्यः

इस इकाई का उद्देश्य :

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं को प्रस्तावित बजट, गुणवत्ता तथा तय समय सीमा मे क्रियान्वित करने में सहयोग देना, परियोजना प्रबंधन के अनुशासन को बढ़ावा देना और इन परियोजनाओं का सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाना है।

परिपेक्षः

मंत्री परिषद द्वारा पारित संक्षेपिका दिनांक 19, जून, 2014 में राज्य शासन के विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु परियोजना प्रबंधन की संस्थागत व्यिवस्था स्थापित की गयी थी। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित परियोजना के प्रबंध के लिये, पी एम एफ (Project Management Framework) का गठन किया गया था ҅

आदेश क्रमांक एफ 11–33/2016/1/9 :: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सम्सख्यक आदेश दिनांक 01–11–2014 द्वारा विजन –2018 के क्रियान्वन हेतु विभिन्न विभागों में नवीन एवं वर्तमान में प्रचलित परियोजना के प्रभावी प्रबंधन तथा निति निर्धारण तथा परियोजना प्रबंधन की संस्थागत व्ययवस्था की गई है।

आदेश क्रमांक एफ 3–2/014–2/ दिनांक 28/05/2016 में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, विभिन्न विभागों तथा जिलों में पदस्थ किये गये परियोजना प्रबंधन इकाई के मानव संसाधन का प्रशासनिक नियंत्रण, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में रखा गया है तथा राज्य योजना आयोग इस हेतु नोडल एजेंसी नामित की गयी है ।

आदेश क्रमांक एफ 04–1/2018/23/यो.आ.सां दिनांक 6/10/2018 में राज्य शासन में कैबिनेट के द्वारा लिया गये निर्णय के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण राज्य योजना आयोग (योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग) के अधीन रहेगा ।

परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यः

- प्रोजेक्ट प्रबंधन फ्रेमवर्क मे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश में संचालित वृहद् परियोजनाओं तथा स्कीम की समीक्षा की जाती है । मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (प्रगति

ऑनलाइन) के तहत 560 (वर्तमान स्थिति में) प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है जिसकी मूल लागत रू. 1.25 हजार करोड़ है।

- परियोजनाओं की मासिक प्रगति की जानकारी हेतु जून 2016 के प्रथम सप्ताह से विभागों द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड (www.mppmf.mp.gov.in) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- विभागीय स्तर पर पदस्थ कंसल्टेंट्स एवं कार्यकारी विभागीय परियोजनाओ की योजना तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं।
- पूर्व परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों का अध्ययन कर आगामी परियोजनाओं में संभावित जोखिमों से अवगत कराना तथा जोखिम में Risk Mitigation राहत की योजना बनाना जिससे परियोजना की गुणवत्तात में वृद्धि एवं लागत में कमी लायी जा सके।
- परियोजनाओं के समय से क्रियान्वित होने से इनसे लक्षित लाभ जैसे विद्युत, सड़क सिंचाई आदि से लम्बे समय में सकल राज्य घरेलू उत्पादन व रोजगार में वृद्धि।
- **08 आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) :–**
  भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित राज्य के आठ आकांक्षी जिलों की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाईन डेशबोर्ड चेंपियन्यंस ऑफ चेन्ज के माध्यम से किया जा रहा है । डेशबोर्ड में निर्धारित सांकेतकों की जानकारी जिला स्तर पर संकलित कर प्रविष्टी की जा रही है । जिनकी सतत मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर प्रोजेक्टं मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा की जा रही है।

- **50 आकांक्षी विकासखंडो की मॉनिटरिंगः–**

- चिन्हांकित विकासखण्डों की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन डैशबोर्ड (Monitoring Dashboard) के माध्यम से किया जा रहा है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में निर्धारित सांकेतकों (इंडिकेटर) की जानकारी विकासखण्ड स्तर पर संकलित कर प्रविष्ट की जा रही है ।

  आगामी प्रत्येक वर्ष में राज्य के समस्त विकासखण्डों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा अधोसंरचना की प्रगति का सर्वेक्षण कर उनकी वार्षिक समीक्षा एवं विश्लेषण मई, 2019 में किया जायेगा। तद्नुसार प्रति वर्ष 50 आकांक्षी विकासखंडो का चयन कर उनकी प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

  आकांक्षी विकासखण्डों के अनुश्रवण हेतु सांकेतकों का निर्धारण किया गया है, जो निम्न क्षेत्रकों से संबंधित हैंः–

- स्वास्थ्य और पोषण
- शिक्षा

- कृषि और सहयोगी सेवाएं
- अधोसंरचना – ग्रामीण और शहरी
- कौशल विकास और रोजगार
- सामाजिक और वित्तीय समावेश

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा 19 जिलों के 50 आकांक्षी विकासखंडों के अधिकारियों का डैशबोर्ड प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में माह अगस्त 2018 में किया जा चुका है।

- एस.डी.जी –2030 के भारत सरकार द्वारा हस्तारक्षित अनुबंध के अनुसार मध्य प्रदेश के संबंध मे 17 लक्ष्यों तथा 169 संकेतको प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ मिलकर नो टास्क फोर्स गठित की गई है । उक्त टास्क फोर्स को एस. डी.जी–2030 डॉक्यूमेंट बनाने मे तकनीकी सहयोग प्रदान करना तथा उनकी मॉनिटरिंग करना ।
- विभागों द्वारा तैयार किये जा रहे 03 वर्षीय एक्शन प्लान, 07 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान, 15 वर्षीय प्रेस्पेक्टिव प्लान में तकनीकी सहयोग प्रदान करना ।
- परियोजना के क्रियान्वन के लिये समूची (होल्स्टिक) योजना बनाना तथा डाटा का एनालिसिस कर निष्कर्ष निर्धारण में सहयोग प्रदान करना ।

मानव संसाधन की वर्तमान स्थिति:

कुल स्वीकृत पदो की संख्या	31
वर्तमान स्थिति	24
रिक्त पदो की स्थिति	07

12 विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन

ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार तत्पर है इस हेतु जरूरी है कि विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों की परस्पर भागीदारी हो। विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिये राज्य योजना आयोग वर्ष 2010–11 प्रदेश के समस्त जिलों में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जिलों की योजना का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत तकनीकी सहायता दल के सहयोग से ग्राम–ग्राम भ्रमण कर ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक ग्राम की विकास योजना तैयार की गई है।

सतत विकास लक्ष्य 2030 (SDG)

आज विभिन्न क्षेत्रकों जैसे आजीविका, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, नागरिक अधिकार संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के ग्रामों के विकास के लिये ग्राम विकास की योजना तैयार की गई है। इस प्रक्रिया में ग्राम मास्टर प्लान, विभिन्न जिलों की विशिष्ट परिस्थितियों, विशेषतया महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को नियोजन प्रक्रिया से जोड़ने में सहयोगी होगा, साथ ही समाज का समस्त समावेशों एवं त्वरित विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा।

- प्रदेश स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से 2.48 लाख कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। ।
- जिसमें से वर्ष 2017–18 में 1.80 लाख कार्यों को विभागों द्वारा क्रियान्वयन हेतु चिन्हांकित किया गया है। चूँकि वर्ष 2018–19 की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

समुदाय द्वारा ग्राम सभा स्तर से अनुमोदित कार्यों को एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर विभागों को क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराया गया है, साथ ही राज्य योजना आयोग द्वारा इसकी **ऑनलाईन मॉनिटरिंग** की जाती है। उपरोक्त से संबंधित सभी गतिविधियाँ जनपद स्तर से राज्य स्तर तक कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित है।

उप सचिव
राज्य योजना आयोग
मध्य प्रदेश